



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112022-240287
CG-DL-E-15112022-240287

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5076]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2022/कार्तिक 24, 1944

No. 5076]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022/KARTIKA 24, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2022

का.आ. 5296(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एलपीजी परिवहन के लिए हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हासन (कर्नाटक) से चेरलापल्ली (तेलंगाना) पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिरा तालूक तुमकूर जिला कर्नाटक राज्य में बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपावद्धा अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियो साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी और विशेषा भूमि आधिग्रहण अधिकारी, हासन – चेरलापल्ली पाइपलाइन परियोजना, हिन्दूस्तान पेट्रोलियम को कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार

का उपक्रम, नं -520, मुक्या रास्ता नं-2, नया के हेच बि लेआउट, नया बस स्टेंड के सामने हासन – 573201, कर्नाटक को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालुक : सिरा		जिला : तुमकुरु	राज्य : कर्नाटक	
क्रमां क	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल	
			एकड़	गुंटा
1	2	3	4	5
1	द्यागेरहल्ली	64/5	00	02
2	होसुरु	217/3	00	01
3		225	00	01
4		127/2	00	03
5	नेजन्थि	150/2	00	17
6		150	00	02
7	तडकलुरु	20/8	00	01
8		272	00	04
9		258	00	16
10		30/3	00	04
11		154/4	00	05
12	चिरतहल्ली	170/3	00	01

[फा. सं. आर-12030(27)/2/2019-ओआर-1/ई-30930]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2022

S.O. 5296(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG, Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid at Sira Taluk, Tumakuru District in Karnataka State, which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to The Competent Authority & SLAO, Hassan-Cherlapalli LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Government of India Enterprises, No 520, 2nd Main Road, New K H B Layout, Opposite New Bus stand, Hassan - 573 201, Karnataka.

SCHEDULE

Taluk : Sira		District : Tumakuru	State : Karnataka	
Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area	
			Acres	Guntas
1	2	3	4	5
1	Dyagerahalli	64/5	00	02
2	Hosuru	217/3	00	01
3		225	00	01
4		127/2	00	03
5	Nejanthi	150/2	00	17
6		150	00	02
7	Thadakaluru	20/8	00	01
8		272	00	04
9		258	00	16
10		30/3	00	04
11		154/4	00	05
12	Chiratahalli	170/3	00	01

[F. No. R- 12030(27)/2/ 2019-OR-I/E-30930]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.